रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30102026-277548
CG-DL-E-30102026-277548

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5693] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 30, 2026/कार्तिक 8, 1948
No. 5693] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 30, 2026/KARTIKA 8, 1948

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अक्तूबर, 2026

का.आ. 5925(अ).— केन्द्रीय सरकार को, लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गुजरात राज्य में एल.पी.जी के परिवहन के लिए कंडला से गोरखपुर एल.पी.जी. पाइपलाइन परियोजना के क्रियान्वयन हेतु आइ.एच.बी. लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी आवश्यक है ।

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि ऐसी भूमि में जो इससे उपाबद्ध अनुसूची मे वर्णित हैं, और जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती हैं ।

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध हैं, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना में युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियां साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के संबंध में श्री हर्षदीप आचार्य (प्रांत अधिकारी- ध्रांगध्रा), सक्षम प्राधिकारी,

आई.एच.बी. लिमिटेड, कांडला-गोरखपुर एल.पी.जी. पाइपलाइन परियोजना, प्रांत कार्यालय (तालुका सेवा सदन), पहली मंज़िल, ध्रांगध्रा जिला: सुरेन्द्रनगर (गुजरात)- 363310 को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची				
तालुका: – ध्रांगध्रां	जिला: – सुरेन्द्रनगर	राज्य: गुजरात		
गांव का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
		हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5
विरेन्द्रगढ़	679	00	15	48
	12	00	02	54
	123	00	03	45
	146	00	06	20

[फा. सं. आर-11025(15)/11/2019-ओआर-आई-भाग (1)/ई-45901]

हरित कुमार शाक्या, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th October, 2026

S.O. 5925(E).— Whereas, it appears to the Central Government, that it is necessary in the public interest that for the transportation of LPG in the State of Gujarat, a pipeline should be laid for implementing Kandla – Gorakhpur LPG pipeline (KGPL) project by IHB Limited.

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed to this notification.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person who is interested in the land described in the said schedule, may within twenty one days from the date on which the copies of this notification issued under Sub-section (1) of section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India, are made available to the general public, submit objection in writing to Mr. Harshdeep Aacharya, Competent Authority (Prant Officer, Dhrangadhra), IHB Ltd., Kandla–Gorakhpur LPG Pipeline Project, Prant Office (Taluka Seva Sadan), First Floor, Dhrangadhra, Dist. Surendranagar (Gujarat) – 363310.

SCHEDULE				
Taluka:- Dhrangadhra	**District:- Surendranagar**	**State:- Gujarat**		
Name of the Village	**Khasara No.**	**Area**		
		Hectare	**Are**	**Sq. mtr.**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
VIRENDRAGADH	679	00	15	48
	12	00	02	54
	123	00	03	45
	146	00	06	20

[F. No. R-11025(15)/11/2019-OR-I-Part (1)/E-45901]

HARIT KUMAR SHAKYA, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA